
क्या :

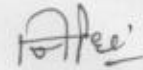
1. मुख्यमंत्री, हरियाणा/सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव,
2. मुख्य सचिव, हरियाणा/ सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/ विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/संयुक्त सचिवों के निजी सचिव/निजी सहायक,
3. सी.पी.एस.सी.एम/पी.एस.सी. एम/ए.पी.एस.सी. एम /ओ.एस.डी.सी.एम. के निजी सचिव व निजी सहायक,
4. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त/उप/अवर सचिवों/ विशेष कार्य अधिकारियों के निजी सहायक/स्टैनोज,
5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/ अनुभाग अधिकारी/उप अधीक्षक/ शाखाध्यक्ष/ पुस्कालयध्यक्ष/ स्थानीय सहायक/ परिचालन सहायक,

कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे?

हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2022-2023 (1.4.2022 से 31.3.2023) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अप्रैल, 2023 में लिखी जानी है। इस सम्बन्ध में प्रोफोर्मा (भाग-I से III) में पृष्ठ 3 पर दी गई तालिका के अनुसार हरियाणा सिविल सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्गों से सम्बन्धित सूचना तुरन्त अपेक्षित है:-

1. मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव
2. निजी सचिव/निजी सहायक/ वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/ आशुलिपिक
3. लिपिक/ड्राईवर / पलम्बर
4. सेवादार-कम-चौकीदार/दफतरी/ रिकार्ड लिफ्टर/हैड गेट कीपर/गेट कीपर/ गेट मैसैन्जर/लाईनमैन रैक्स/ फराश/स्वीपर-कम-ग्लास क्लीनर/केन वर्कर इत्यादि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।

उनसे अनुरोध है कि यह सूचना स्थापना-II शाखा में 29.3.2023 तक अवश्य भेज दें।



अधीक्षक, स्थापना-II शाखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1. मुख्यमंत्री, हरियाणा/सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव,
2. मुख्य सचिव हरियाणा/ सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/ विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/संयुक्त सचिवों के निजी सचिव/निजी सहायक,
3. सी.पी.एस.सी.एम/ पी.एस.सी. एम/ए.पी.एस.सी. एम/ओ.एस.डी.सी.एम. के निजी सचिव व निजी सहायक,
4. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त/उप/अवर सचिवों, विशेष कार्य अधिकारियों के निजी सहायक/स्टैनोज,
5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/ अनुभाग अधिकारी/उप अधीक्षक/ शाखाध्यक्ष/ पुस्कालयध्यक्ष/ स्थानीय सहायक/ परिचालन सहायक।

एक प्रति निम्नलिखित प्रत्येक को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :-

1. प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव/राज्यपाल, हरियाणा चण्डीगढ़।
3. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
4. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, पंचकूला, हरियाणा।
5. अध्यक्ष, ब्यौरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजिज हरियाणा।
6. निजी सहायक/विपक्ष के नेता।

निधे

अधीक्षक, स्थापना-II शाखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

शाखा अधिकारी का नाम.....

भाग-I

(इस भाग में कार्यालय/शाखा में वर्तमान में 3 माह से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों बारे सूचना दी जानी है)

कर्मचारियों का नाम	वर्तमान कार्यालय/शाखा में तैनाती की तिथि	माध्यम जिससे कार्य गुजरता है।	वर्ष के दौरान स्थानान्तरित अधिकारियों के नाम तिथियों सहित

भाग-II

(इस भाग उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है जिन्होंने वर्ष 2022-2023 में कार्यालय/शाखा में 3 मास से अधिक कार्य किया हो परन्तु अब वहां नहीं हैं।)

कर्मचारियों का नाम	कार्यालय/शाखाओं में तैनाती की तिथि	माध्यम जिससे कार्य गुजरा	वर्ष के दौरान स्थानान्तरित अधिकारियों के नाम तिथियों सहित

भाग-III

(इस भाग में उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है जिन्होंने वर्तमान कार्यालय/शाखा में तीन महीने कार्य न किया हो परन्तु वर्ष 2022-2023 में किसी अन्य शाखा में तीन महीने से अधिक कार्य किया हो)

कर्मचारियों का नाम	समय जिसमें दूसरी शाखा में कार्य किया था तथा शाखा का नाम भी	माध्यम जिससे कर्मचारी का कार्य गुजरता था।	अधिकारियों के नाम तथा पद संज्ञा